

Disclaimer

“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”

अस्वीकरण

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

Kshema Kisan Sathi Insurance Policy**UIN: IRDAN162RPCR0019V01202526**

क्षेमा किसान साथी बीमा पॉलिसी

नीतिगत शब्दावलियाँ

खंड I: कार्यात्मक खंड

जहाँ आप अनुसूची में नामित बीमित ने इस क्षेमा किसान साथी बीमा पॉलिसी को चुना है और हमें बीमा कवर के लिए आवेदन किया है, क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जैसा कि पॉलिसी में कहा गया है।

प्रस्ताव, नीति शब्दांकन, नीति अनुसूची, अनुलग्नक, घोषणाएं और उनके किसी भी समर्थन को एक दस्तावेज और कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति माना जाएगा जिसमें एक विशिष्ट अर्थ संलग्न किया गया है।

इस पॉलिसी के दौरान, "आप", "आपका", "स्वयं" शब्द पॉलिसी अनुसूची में दिखाए गए नामित बीमित व्यक्ति को संदर्भित करते हैं। "हम", "हम", "हमारा" और "कंपनी" शब्द क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को संदर्भित करते हैं।

अब यह नीति गवाह है कि यह नीति विभिन्न भागों, अनुभागों, नियमों, शर्तों, अपवादों और प्रक्रियाओं के तहत उल्लिखित सामग्री के अधीन है या इसका समर्थन या व्यक्त किया गया है

भाग I: फसल बीमा

भाग II: व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

भाग I: फसल बीमा

भाग I-खंड I: ए: प्रयोज्यता:

पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित मौसमी/बागान फसल जिसके लिए बैंक फसल ऋण प्रदान करता है।

भाग I-खंड I: ख: बीमित राशि का आधार:

ऋण लेने वाले और गैर-ऋण लेने वाले ग्राहकों के मामले में बैंक या एस. ओ. एफ. द्वारा स्वीकृत ऋण राशि की सीमा तक।

भाग I-भाग II: शब्दों की परिभाषा

- जोखिम/पॉलिसी शुरू करने की तारीख: शुरुआत या जोखिम शुरू करने की तारीख इस पॉलिसी के तहत कवरेज शुरू करने की तारीख है जैसा कि पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।
- फसल: फसल का अर्थ होगा एक ही प्रकार का पौधा जो एक परिभाषित सीमा खेत में एक स्थान पर उगाया जाता है और लाभ या निर्वाह के लिए बड़े पैमाने पर काटा जाता है और जिसे बीज से या किसी भी प्रकार से उगाया जा सकता है।
- डिजिटल प्रस्ताव प्रपत्र (डी. पी. एफ.): एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें या तो आप (क्षेमा मोबाइल अनुप्रयोग में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करते हुए) या आपके अधिकृत प्रतिनिधि (इसकी पुष्टि वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से की जानी चाहिए)

- d) फसल की अवधि: बहु-चुनने वाली फसलों के मामले में बुवाई से लेकर फसल की अंतिम कटाई की शुरुआत तक की अवधि और एकल चुनने वाली फसलों के लिए कटाई की शुरुआत और पौधे के लिए अधिकतम 1 वर्ष
- e) दावा अधिक/कटौती योग्य: पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट राशि जिसे आपको प्रत्येक बीमा दावे के लिए स्वयं वहन करना होगा।
- f) समर्थन: इसका मतलब है कि आपके द्वारा लिखित रूप में या क्षेमा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अनुरोध किया गया कोई भी परिवर्तन पॉलिसी में किया जाना है और जिसे हम लिखित रूप में स्वीकार कर चुके हैं।
- g) नामांकन खिड़की: कंपनी द्वारा किसी विशेष फसल मौसम के लिए इस नीति के तहत नामांकन के लिए घोषित अवधि।
- h) पशु हमला: पॉलिसी में निर्दिष्ट पशुओं द्वारा हमला/चराई से बीमित फसल को नुकसान या क्षति।
- i) कटाई: बीमित फसल से उपज काटने/एकत्र करने के लिए की गई किसी भी कार्रवाई का अर्थ है कटाई।
- j) क्षतिपूर्ति प्रतिशत: यह वास्तविक हानि या बीमित राशि का प्रतिशत है जो किसी भी दावे की स्थिति में भुगतान किया जाएगा और जैसा कि पॉलिसी अनुसूची में दिखाया गया है।
- k) बीमित व्यक्ति का अर्थ है पॉलिसी की अनुसूची में नामित व्यक्ति।
- l) भौतिक परिवर्तन-वे परिवर्तन जो जोखिम के लिए बीमाकर्ता के निर्णय को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें बुवाई की तारीखों में परिवर्तन या बीमित फसल में परिवर्तन शामिल है लेकिन यह सीमित नहीं है।
- m) बीमा की अवधि: वह अवधि जिसके लिए बीमा का अनुबंध वैध है जैसा कि पॉलिसी अनुसूची में दिखाया गया है, जब तक कि पॉलिसी रद्द नहीं की जाती है, जिस स्थिति में बीमा की अवधि प्रभावी होने पर समाप्त हो जाएगी।
- n) नीति: नीति का अर्थ है ये नीति शब्द, नीति अनुसूची और कोई भी लागू अनुलग्नक समर्थन या विस्तार जो इससे जुड़े हैं और इसका हिस्सा हैं। नीति में सीमा का विवरण शामिल है।
- o) पॉलिसी की समाप्ति तिथि: मौसमी फसलों के लिए पॉलिसी तब समाप्त हो जाएगी जब फसल की कटाई की प्रक्रिया खेत में या फसल की अवधि के आधार पर पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित समाप्ति तिथि पर शुरू की जाती है।
- p) पॉलिसी अनुसूची: वह दस्तावेज़ जिसमें बीमा अनुबंध से संबंधित सभी विवरण होते हैं और जो पॉलिसी के शब्दों, अनुमोदनों और किसी अन्य संलग्न अनुलग्नक का हिस्सा होते हैं।
- q) फसल कटाई के बाद नुकसान: फसल/उपज को जमीन/फसल से अलग करने के बाद फसल/उपज को नुकसान या क्षति।
- r) प्रस्ताव प्रपत्र: भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ जो आपके बारे में, खेत, फसल और जोखिम से संबंधित किसी भी अन्य सामग्री की जानकारी देता है और विधिवत दिनांकित/ई-दिनांकित और हस्ताक्षरित/अंगूठे का निशान है।
- s) प्रीमियम: इस पॉलिसी के तहत बीमा कवरेज की खरीद के लिए पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट राशि

Kshema Kisan Sathi Insurance Policy**UIN: IRDAN162RPCR0019V01202526**

- t) बीमित राशि: पॉलिसी अनुसूची में दिखाई गई फसल बीमित राशि जो बीमा अवधि के दौरान किसी भी एक दावे के लिए या कुल मिलाकर सभी दावों के लिए पॉलिसी के तहत हमारी अधिकतम देयता होगी।
- u) प्रतीक्षा अवधि: एक प्रतीक्षा अवधि इस पॉलिसी के तहत बताए गए समय की राशि है जिसके लिए आपको कवरेज लागू होने से पहले इंतजार करना होगा। बीमित व्यक्ति किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

भाग I-भाग III: कवरेज

नीचे सूचीबद्ध खतरे के होने पर, जिसके परिणामस्वरूप फसल को नुकसान होता है, आप इस पॉलिसी के तहत बीमा दावे के हकदार होंगे।

- a) चक्रवात
- b) भूकंप
- c) बिजली गिरने से लगी आग
- d) बाढ़
- e) ओलावृष्टि।
- f) जलप्लावन (हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं)
- g) भूस्खलन
- h) सुनामी
- i) नीचे सूचीबद्ध पशु हमला (केवल बीमित पॉलिसी राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत के लिए)।
 - (a) हाथी
 - (b) जंगली सूअर

भाग I-धारा IV: यह नीति किसे जारी की जाती है।

- I. आपको पॉलिसी जारी की जाती है और पॉलिसी आपकी उस फसल को कवर करती है जिसके लिए उस बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है जिसका नाम पॉलिसी अनुसूची में हाइपोथेकेशन के तहत उल्लिखित है।
- II. यदि एक से अधिक मालिक या किसान या उधारकर्ता हैं, तो पॉलिसी प्रमुख बैरोअर या आप सभी द्वारा नामित सह-मालिक या सह-किसान में से एक को जारी की जाएगी और इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
- III. यदि आपने किसी बैंक के साथ बीमित संपत्ति को गिरवी रखा है, गिरवी रखा है या काल्पनिक किया है, तो पॉलिसी अनुसूची में एक 'सहमत बैंक खंड' दिखाई देगा और ऐसे अन्य बैंक का नाम इस पॉलिसी में जोड़ा जाएगा:

भाग I-धारा V: निम्नलिखित नुकसान इस पॉलिसी के तहत कवर नहीं किए जाएंगे।

हम निम्नलिखित कारणों से हुए नुकसान और/या क्षति को कवर नहीं करेंगे:

- a) युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मन का कार्य, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित किया जाए या न किया जाए), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, सैन्य या हड़पी गई शक्ति, जब्ती, नाटी के परिणामस्वरूप नुकसान।
- b) आयनीकरण विकिरण या किसी भी परमाणु ईंधन या परमाणु ईंधन या रेडियोधर्मी, विषाक्त, विस्फोटक या खतरनाक के दहन से किसी भी परमाणु अपशिष्ट से रेडियोधर्मिता द्वारा संदूषण से उत्पन्न होना।
- c) किसी भी प्रकार या विवरण का परिणामी नुकसान।
- d) दुर्भावनापूर्ण क्षति, आगजनी और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम
- e) आतंकवादी गतिविधियों के कारण फसल को कोई नुकसान
- f) किसी भी प्रकार का प्रदूषण या संदूषण
- g) किसी भी सरकार या किसी अन्य नागरिक प्राधिकरण के आदेश के कारण राजनीतिक जोखिम या हानि या क्षति
- h) ज्वालामुखीय विस्फोट, तटीय या नदी का कटाव या प्रकृति के अन्य आवेग
- i) चोरी, दंगा और हड़ताल
- j) बीमा अवधि के दौरान पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित नहीं की गई फसल की खेती
- k) फसल उपज के लिए कटाई के बाद का नुकसान, भले ही वह खेत में काटकर फैला हुआ हो
- l) विशेष रूप से कवर किए गए जानवरों के अलावा किसी अन्य जानवर के कारण होने वाली क्षति/हानि।
- m) पॉलिसी अनुसूची के तहत निर्दिष्ट अतिरिक्त/कटौती योग्य राशि का दावा करें।
- n) बाढ़ के खिलाफ हाइड्रोफिलिक फसलों का कवरेज
- o) किसी भी अन्य खतरे के कारण, जो पॉलिसी अनुसूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।
- p) स्टेकिंग, ट्रेलिस आदि जैसी सहायक संरचनाओं की लागत।
- q) प्रतीक्षा अवधि: पॉलिसी की शुरुआत से पहले 7 दिनों के भीतर।
- r) अंतः फसल और मिश्रित फसल की खेती।

भाग I-धारा VI: बीमा दावा और अपनी जिम्मेदारी कैसे दर्ज करें

इस पॉलिसी के तहत कवर किए गए बीमित जोखिमों के कारण किसी भी नुकसान की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप फसल को नुकसान या क्षति हो सकती है, आपको तुरंत निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है।

- a) क्षेमा एप्लिकेशन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से customer.support@kshema.co या टोल-फ्री नंबर 18005723013 पर अपनी पॉलिसी के विवरण के साथ तुरंत नुकसान की सूचना दें।
- b) नुकसान को कम करने के लिए सभी कदम उठाएँ, जैसे कि कोई बीमा नहीं लिया गया है।
- c) क्षेमा एप्लिकेशन के माध्यम से फसल के नुकसान/क्षति की तस्वीरें लें
- d) क्षेमा एप्लिकेशन के वीडियो गाइड में दिए गए निर्देश के अनुसार पूरे प्रभावित क्षेत्र का वीडियो लें।

- e) हानि के समय और तिथि और स्थान पर उनके मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित हानि के साथ क्षति/हानि का पूरा विवरण दें। अनुमानित हानि में किसी भी प्रकार के लाभ को शामिल न करें।
- f) यदि नुकसान के समय एक ही फसल को कवर किया जाता है, तो अन्य सभी बीमाक विवरणों की जानकारी दें।
- g) नुकसान का सत्यापन/आकलन पूरा होने तक क्षतिग्रस्त फसल/उपज की रक्षा करें और नुकसान को कम करने के लिए सभी कदम उठाएं।
- h) क्षेमा दावा दल द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेज/जानकारी प्रदान करें।
- i) बाढ़/बाढ़/चक्रवात के दावों के मामले में, जब तक नुकसान की कोई संभावना नहीं है, तब तक हर वैकल्पिक तिथि पर फोटो और वीडियो जमा किए जाएंगे।

भाग I-धारा VII: इस भाग पर लागू विशिष्ट शर्तें:

- i. बीमाकृत फसल: पॉलिसी शुरुआत से ही अमान्य हो जाती है यदि खेत में फसल बीमित फसल से अलग है या खेत में मिश्रित फसल/अंतर फसल (कोई अन्य फसल) है।
- ii. खर्च: खेत से किसी भी क्षतिग्रस्त फसल, मलबे या किसी भी पदार्थ को हटाने के लिए आपके द्वारा किया गया कोई भी खर्च, चाहे वह नुकसान कवर किए गए खतरों के कारण हुआ हो या अन्यथा, नहीं होगा।
- iii. अतिरिक्त राशि: प्रति दावा पाँच सौ रुपये जो आपको प्रत्येक के लिए अपनी जेब से भुगतान करना होगा, और इस पॉलिसी पर किए गए प्रत्येक दावे के लिए।
- iv. अंशदान खंड: एक ही कृषि भूमि में एक ही फसल की स्थिति में एक से अधिक बीमा पॉलिसियों के तहत बीमा किया जा रहा है और यदि उक्त कृषि भूमि पर नुकसान होता है और नुकसान दोनों के तहत कवर किया जाता है।
- v. प्रतीक्षा अवधि: पॉलिसी अनुसूची में उल्लिखित प्रारंभ तिथि से पहले 7 दिनों के भीतर होने वाले फसल नुकसान के लिए कोई पॉलिसी कवरेज नहीं है।
- vi. फसल में बदलाव: बैंक ऋण के लिए या बीमा के लिए प्रस्ताव के समय घोषित की गई फसल से फसल में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- vii. बुवाई की तारीख में बदलाव: बुवाई की तारीख में एक बार बदलाव की अनुमति है।
- viii. दावे के बाद पॉलिसी की स्थिति: हानि होने पर, हानि के तहत क्षेत्र की सीमा तक आनुपातिक बीमित राशि बीमित क्षेत्र के लिए कुल बीमित राशि से कम हो जाती है।
- ix. 72 घंटे खंड: नुकसान होने की घटना की शुरुआत से शुरू होने वाले लगातार 72 घंटों की अवधि के दौरान एक या अधिक बीमित खतरों से उत्पन्न फसल का कोई भी नुकसान या क्षति
- x. अनिवार्य दस्तावेज: दावे के समय अनिवार्य फसल हानि/क्षतिग्रस्त तस्वीरों के साथ-साथ लंबे समय तक चलने वाले निर्देशांक घटना की तारीख से 2 दिनों के सख्त अंतराल पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

भाग I-धारा VIII: हानि या क्षति होने पर कंपनी के अधिकार

हानि या क्षति होने पर, या ऐसी परिस्थिति जिसने इस नीति के तहत दावे को जन्म दिया है, हम कर सकते हैं:

- क्षतिग्रस्त फसल में प्रवेश करें और/या उसे अपने कब्जे में लें;
- बीमित संपत्ति से किसी भी पदार्थ या विवरण को अपने कब्जे में रखें और उसकी जांच करें, क्रमबद्ध करें, व्यवस्था करें, हटाएं या अन्यथा उससे निपटें; और,
- ऐसी किसी भी बीमित संपत्ति को बेचें या उसका निपटान करें। इस शर्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग हम किसी भी समय तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपके द्वारा लिखित सूचना नहीं दी जाती है कि आप किसी भी तरह का दावा नहीं करते हैं।

यदि आप या आपकी ओर से कोई भी व्यक्ति नीति के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करेगा या यहाँ निरीक्षण/मूल्यांकन करते समय हमें या हमारे प्रतिनिधियों को बाधित या बाधित करेगा, तो सभी

भाग I-धारा IX: हानि मूल्यांकन और संगणना:

- दावे का पता लगाने और नुकसान का आकलन रिमोट सेंसिंग उपग्रह छवि/फोटो/वीडियो के माध्यम से किया जाएगा, जो इनहाउस विकसित एल्गोरिदम का उपयोग करके क्षेमा एप्लिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
- क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति तालिका में निर्धारित फसल के मूल्य के अनुरूप, ऊपर निर्धारित नुकसान की सीमा के आधार पर आनुपातिक रूप से देय होगी।
- आप फसल को छोड़ने के हकदार नहीं होंगे, चाहे हमने उस पर कब्जा कर लिया हो या नहीं, दावा करने के 7 दिन बाद तक। यदि क्षतिग्रस्त फसल को काटा जाता है या खेत से हटा दिया जाता है।
- क्षतिपूर्ति राशि उपग्रह छवि/क्षेमा ऐप के माध्यम से प्राप्त चित्रों के माध्यम से निर्धारित नुकसान के प्रतिशत को फसल के मूल्य पर लागू करने के बाद प्राप्त की जाएगी।

किसी भी स्तर पर होने वाले दावे की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र के लिए आनुपातिक बीमित राशि समाप्त हो जाएगी और अनुपात के साथ अप्रभावित क्षेत्र के लिए शेष अवधि के लिए पॉलिसी जारी रहेगी।

क्षतिपूर्ति = बीमित राशि x फसल के चरण के अनुरूप क्षतिपूर्ति प्रतिशत x प्रभावित बीमित क्षेत्र की सीमा x हानि प्रतिशत x क्षतिपूर्ति प्रतिशत-अधिक/कटौती योग्य।

e. तालिका।

चरणबद्ध बीमित राशि तालिका: एक बार फसल कटाई		
चरण	बुवाई की तारीख से फसल की अवधि का प्रतिशत	क्षतिपूर्ति प्रतिशत (बीमित राशि का आनुपातिक)
1.	5 प्रतिशत तक	10%
2.	5 प्रतिशत से ऊपर 10 प्रतिशत तक	15%

3.	10 प्रतिशत से ऊपर 30 प्रतिशत तक	20%
4.	30 प्रतिशत से ऊपर 40 प्रतिशत तक	45%
5.	40 प्रतिशत से ऊपर 50 प्रतिशत तक	60%
6.	50 प्रतिशत से ऊपर 65 प्रतिशत तक	70%
7.	65 प्रतिशत से ऊपर 75 प्रतिशत तक	80%
8.	75 प्रतिशत से ऊपर 85 प्रतिशत तक	85%
9.	85 प्रतिशत से ऊपर 100% तक	100%

f. तालिका II

चरणबद्ध बीमाकृत राशि तालिका: बहु-चुनने वाली फसलें		
चरण	बुवाई की तारीख से फसल की अवधि का प्रतिशत	क्षतिपूर्ति प्रतिशत (बीमित राशि का आनुपातिक)
1.	5 प्रतिशत तक	10%
2.	5 प्रतिशत से ऊपर 10 प्रतिशत तक	15%
3.	10 प्रतिशत से ऊपर 30 प्रतिशत तक	20%
4.	30 प्रतिशत से ऊपर 40 प्रतिशत तक	45%
5.	40 प्रतिशत से ऊपर 45 प्रतिशत तक	60%
6.	45 प्रतिशत से ऊपर 50 प्रतिशत तक	70%

7.	50 प्रतिशत से ऊपर 60 प्रतिशत तक	80%
8.	60 प्रतिशत से ऊपर 75 प्रतिशत तक	85%
9.	75 प्रतिशत से ऊपर 80 प्रतिशत तक	100%
10.	80 प्रतिशत से ऊपर 90 प्रतिशत तक	80%
11.	90 प्रतिशत से ऊपर 95 प्रतिशत तक	50%
12.	95 प्रतिशत से ऊपर 100% तक	20%

नोट: यदि नुकसान के समय फसल चरण पॉलिसी शुरू होने के पहले 7 दिनों के भीतर आता है, तो कोई बीमा दावा देय नहीं होगा।

के. बागान फसलों के लिए क्षतिपूर्ति

हानि का आकलन प्रति पादप मूल्य पर आधारित होगा। बागान फसलें जो वार्षिक प्रकृति की हैं, उन्हें तालिका 1 के तहत उल्लिखित प्रतिशत को लागू करते हुए प्राप्त किया जाएगा, जबकि बीज के लिए

पशु आक्रमण खंड:

जंगली सूअर और हाथी द्वारा छापे/चराई के कारण होने वाले नुकसान या क्षति का कवरेज, बीमा राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत के लिए।

उपरोक्त धारा के तहत बताई गई हानि निर्धारण प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। देय दावा फसल के चरण के आधार पर बीमित राशि के अनुपात में होगा। इस कवर के तहत भुगतान किए गए दावे।

भाग I-धारा X: दावे के बाद इस नीति की स्थिति

कुल नुकसान के मामले में, पॉलिसी की इस धारा को दावा दायर करने की तारीख से अमान्य माना जाता है और अनिश्चित अवधि की उपलब्धता के बावजूद कोई कवरेज उपलब्ध नहीं होगी।

प्रभावित क्षेत्र के लिए भुगतान किए गए दावे के मामले में, यह माना जाता है कि उस क्षेत्र के लिए बीमित राशि समाप्त हो गई है, पॉलिसी अप्रभावित क्षेत्र के लिए जारी रहेगी और बीमित राशि उपलब्ध होगी।

भाग II: व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

भाग II-धारा IA: प्रयोज्यता:

Kshema Kisan Sathi Insurance Policy**UIN: IRDAN162RPCR0019V01202526**

बीमित व्यक्ति की लागू आयु 18 (अठारह) वर्ष और 70 (सत्तर) वर्ष के बीच होगी। बीमित व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से अधिक (या पॉलिसी शुरू होने की तारीख को 18 वर्ष से कम) होगी।

भाग II-धारा IB: बीमित राशि का आधार:

ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि की सीमा तक या गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा राशि की सीमा तक।

भाग II-भाग II: शब्दों की परिभाषा

नीचे दी गई तालिका में बताए गए शब्दों का इस पूरे कवर में इस बीमा पॉलिसी के लिए एक विशेष अर्थ है।

	शब्द/शब्द	विशिष्ट अर्थ
3.1	दुर्घटना	एक अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना जो आकस्मिक रूप से बाहरी, दृश्य और हिंसक तरीकों से होती है।
3.2	आयु.	इसका अर्थ है प्रस्ताव चरण के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज़ के अनुसार पॉलिसी शुरू होने की तारीख को अंतिम जन्मदिन पर बीमित व्यक्ति की आयु।
3.3	आकस्मिक मृत्यु	प्राकृतिक कारणों, बीमारी, या हत्या या आत्महत्या जैसे जानबूझकर किए गए कार्यों के बजाय दुर्घटना के परिणामस्वरूप अचानक और हिंसक मृत्यु है।
3.4	बीमाकृत व्यक्ति	मतलब पॉलिसी की अनुसूची में नामित व्यक्ति (ओं)
3.5	मेडिकल प्रैक्टिशनर	एक व्यक्ति जिसका किसी भी राज्य की चिकित्सा परिषद या भारतीय चिकित्सा परिषद या भारतीय चिकित्सा परिषद या भारत सरकार द्वारा स्थापित होम्योपैथी के लिए वैध पंजीकरण है या
3.6	पॉलिसी अवधि	बीमा की वह अवधि जिसके लिए यह कवर जारी किया जाता है।
3.7	नीति अनुसूची	इसका अर्थ है पॉलिसी से जुड़ी और पॉलिसी का हिस्सा बनने वाली पॉलिसी अनुसूची जिसके लिए यह कवर जारी किया गया है।
3.8	बीमित राशि	इसका मतलब है पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट पूर्व-परिभाषित सीमा। बीमित राशि पॉलिसी के तहत अधिकतम देयता का प्रतिनिधित्व करती है।

भाग II-भाग III: कवरेज

- a. आकस्मिक मृत्यु: हम बीमित राशि के 100% के बराबर लाभ का भुगतान करेंगे, जैसा कि पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, इस कवर के खिलाफ पी के दौरान एक दुर्घटना में लगी चोट के कारण बीमित मृत्यु पर।

भाग II-धारा IV: यह नीति किसके लिए जारी की गई है।

Kshema Kisan Sathi Insurance Policy

UIN: IRDAN162RPCR0019V01202526

- i. ऋणी/गैर ऋणी किसान जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है
- ii. पॉलिसी आपको फसल ऋण के ऋण उधारकर्ता के रूप में जारी की जाती है जो उस बैंक से प्राप्त किया गया है जिसका नाम पॉलिसी अनुसूची में हाइपोथेकेशन के तहत उल्लिखित है।
- iii. यदि एक से अधिक व्यक्ति ऋण उधारकर्ता हैं, तो इस भाग के तहत कवरेज केवल प्रमुख उधारकर्ता के लिए होगा।

भाग II-धारा V: निम्नलिखित नुकसान इस बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं किए जाएंगे।

हम निम्नलिखित के संबंध में इस कवर के तहत कोई भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे:

- (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध (चाहे घोषित हो या न हो) और युद्ध जैसी घटना या आक्रमण, विदेशी दुश्मनों के कृत्य, शत्रुता, गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांतियों, सुधार के कारण मृत्यु का कोई भी दावा।
- (ii) मृत्यु के लिए कोई भी दावा
 - a. जानबूझकर आत्म-चोट (जब तक कि आत्मरक्षा या जीवन बचाने के मामले में नहीं), या हत्या या आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास।
 - b. जबकि मादक शराब या नशीली दवाओं या अन्य मादक पदार्थों के प्रभाव में हो, सिवाय इसके कि आप नशे के प्रभाव में होने के बावजूद चोट/दुर्घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हैं।
 - c. साहसिक खेलों, विमानन या गुब्बारे में भाग लेते समय, या यात्री के अलावा किसी भी गुब्बारे या विमान में चढ़ते समय, या उतरते समय या यात्रा करते समय (किराया-भुगतान या अन्यथा)

[मानक प्रकार के विमान का अर्थ है कोई भी विमान जो उचित प्राधिकरण द्वारा यात्रियों को ले जाने के लिए (किराए पर या अन्यथा) विधिवत लाइसेंस प्राप्त है, भले ही ऐसा विमान निजी स्वामित्व वाला हो या किराए पर लिया गया हो।
 - d. अपराधिक इरादे से कानून का कोई उल्लंघन करने से उत्पन्न होना या उसके परिणामस्वरूप।
- (iii) खतरनाक या साहसिक खेलों में एक पेशेवर के रूप में भागीदारी के कारण मृत्यु का कोई भी दावा, जिसमें पैरा-जंपिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पर्वतारोहण, राफ्टिंग, मोटर रेसिंग, हॉर्स रेस शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- (iv) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले या योगदान करने वाले या उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणामी नुकसान के परिणामस्वरूप या उत्पन्न होने वाली मृत्यु के लिए कोई दावा:
 - A. आयनीकरण विकिरण या किसी भी परमाणु ईंधन से या रेडियोधर्मिता द्वारा संदूषण परमाणु ईंधन के दहन या किसी भी परमाणु से कोई भी परमाणु अपशिष्ट दहन से अपशिष्ट (परमाणु विखंडन की किसी भी आत्मनिर्भर प्रक्रिया सहित) परमाणु ईंधन।

- B. परमाणु हथियार सामग्री
 - C. किसी भी विस्फोटक परमाणु संयोजन या उसके परमाणु घटक के रेडियोधर्मी, विषाक्त, विस्फोटक या अन्य खतरनाक गुण।
 - D. परमाणु, रासायनिक और जैविक आतंकवाद
- (v) बीमित व्यक्ति के वास्तविक या अवैध कार्य में जानबूझकर भाग लेने के प्रयास या कानून के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के प्रयास से उत्पन्न होने वाली कोई भी मृत्यु।
- (vi) हम इस नीति के तहत आपके द्वारा किए गए किसी भी खर्च के संबंध में या इसके संबंध में कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे:

भाग II-धारा VI: बीमा दावे के लिए आवेदन कैसे करें और अपनी जिम्मेदारी:

a. संकेत:

- i. किसी घटना या घटना के बारे में सूचना जो इस व्यक्तिगत दुर्घटना भाग के तहत दावे को जन्म दे सकती है, उसके होने के 30 दिनों के भीतर क्षेमा को दी जानी चाहिए।
- ii. आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में नश्वर अवशेषों के परिवहन/दफन के एक (1) महीने के बाद बीमा लाभों के लिए दावे हमें प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

नोट: हम मामले के गुण-दोष के आधार पर ऊपर उल्लिखित समय सीमा की जांच करेंगे और उसमें ढील देंगे।

b. दावे के मामले में दिए जाने वाले दस्तावेज़:

- i. विधिवत भरा हुआ और दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र।
- ii. बीमित और दावेदार का फोटो पहचान प्रमाण।
- iii. एफ. आई. आर., आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट/पंचनामा/पुलिस पूछताछ रिपोर्ट (जहां दुर्घटना की परिस्थिति के अनुसार इन रिपोर्टों की आवश्यकता होती है) की प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा विधिवत सत्यापित की जाती है।
- iv. चिकित्सा-कानूनी प्रमाणपत्र की प्रति (दुर्घटना की परिस्थिति के अनुसार जहां भी इसकी आवश्यकता हो) संबंधित अस्पताल द्वारा विधिवत सत्यापित।
- v. दावे के मूल्यांकन के लिए हमारे द्वारा आवश्यक कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।
- vi. मृत्यु प्रमाण पत्र।
- vii. साँप के काटने/विषाक्तता के मामले में विसरा परीक्षण
- viii. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (यदि की जाती है)।
- ix. नामांकित व्यक्ति या मूल उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/मूल कानूनी उत्तराधिकारी का पहचान प्रमाण।

- x. मृत पॉलिसी धारक द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति में वैध निर्वहन के उद्देश्य से कंपनी की संतुष्टि के लिए प्रमाण पत्र या कोई अन्य प्रमाण।

c. दावा निपटान

- हम अंतिम अनुरोधित दस्तावेज़ की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, किसी दावे का निपटारा या अस्वीकार कर देंगे।
- 30 दिनों की समय सीमा से परे दावे के भुगतान में देरी के मामले में, हम आपको अंतिम अनुरोधित दस्तावेज़ की प्राप्ति की तारीख से लेकर क्लार्क के भुगतान की तारीख तक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- हालांकि, जहां हमारी राय में किसी दावे की परिस्थितियों में जांच की आवश्यकता होती है, वह इस तरह की जांच जल्द से जल्द शुरू करेगी और पूरी करेगी, किसी भी मामले में तारीख से 30 दिनों के बाद नहीं।
- निर्धारित 45 दिनों से अधिक की देरी के मामले में, हम आपको अंतिम आवश्यक दस्तावेज़ की प्राप्ति की तारीख से उस तारीख तक बैंक ब्याज दर से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(व्याख्या: "बैंक दर" का अर्थ होगा भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निर्धारित दर जिसमें दावा देय हो गया है)

भाग II-धारा VII: इस भाग पर लागू विशिष्ट शर्तें:

- "क्षेमा किसान साथी" में बताए गए सभी सामान्य नियम और शर्तें लागू होती हैं।
- भौतिक बदलाव: आपको तुरंत हमें उसके व्यवसाय या व्यवसाय में किसी भी बदलाव या शारीरिक दोष या दुर्बलता के बारे में लिखित रूप में सूचित करना होगा जिससे वह अंतिम भुगतान के बाद से प्रभावित हुआ है।
- बीमे की स्वतः समाप्ति: यह पॉलिसी आपकी मृत्यु के बाद या पॉलिसी की अवधि पूरी होने तक, जो भी पहले हो, अपने आप समाप्त हो जाएगी।
- अनेक नीतियाँ:

निश्चित लाभ प्रदान करने वाली कई पॉलिसियों के मामले में, पॉलिसियों के नियमों और शर्तों के अनुसार बीमित घटना होने पर, हम दावे के भुगतान को स्वतंत्र बना देंगे।

e) नामांकन:

आपको पॉलिसी की शुरुआत में, आपकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी के तहत दावों के भुगतान के उद्देश्य से नामांकन करने की आवश्यकता होती है। नामांकन के किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाएगा

खंड II: दोनों भागों पर लागू होने वाले सामान्य नियम और शर्तें

- निर्विवादता और प्रकटीकरण का कर्तव्य: पॉलिसी अमान्य होगी और असत्य या गलत बयानों, गलत निरूपण, गलत विवरण या गैर-विवरण की स्थिति में कोई लाभ देय नहीं होगा।

- ii. देयता स्वीकार करने की पूर्व शर्त: पॉलिसी के तहत उत्पन्न होने वाले दावों के लिए कोई भी भुगतान करने के लिए आपके द्वारा पॉलिसी के नियमों और शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।
- iii. उचित देखभाल: आप बीमित संपत्ति के हितों को नुकसान या क्षति से बचाने के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे जो दावे को जन्म दे सकते हैं।
- iv. नियमों और शर्तों का पालन: इस नीति के नियमों, शर्तों और समर्थन का उचित पालन और पूर्ति जहां तक वे आपके द्वारा किए जाने या पालन किए जाने वाले किसी भी काम से संबंधित हैं।
- v. दावा सूचना की सूचना: किसी भी बीमित घटना की घटना पर 24 घंटे के भीतर हमें लिखित रूप में तत्काल सूचना दी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप नुकसान या क्षति होगी।
- vi. विशेष प्रावधान: कोई भी विशेष प्रावधान जिसके अधीन इस नीति में प्रवेश किया गया है और नीति में इसका समर्थन किया गया है, इस नीति का हिस्सा माना जाएगा और तदनुसार प्रभावी होगा।

vii. धोखाधड़ी:

यदि आप या आपकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है या जानबूझकर किसी भी स्तर पर किसी भौतिक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या छुपाता है-चाहे वह प्रस्ताव के दौरान हो, जब नीति लागू हो, या इसके संबंध में हो।

क. बीमा आवेदन को अस्वीकार करना यदि पॉलिसी जारी करने से पहले धोखाधड़ी या सामग्री की गलत व्याख्या पाई जाती है।

बी. शुरुआत से ही पॉलिसी को रद्द करना और भुगतान किए गए सभी प्रीमियम को जब्त करना, यदि पॉलिसी जारी होने के बाद लेकिन कोई दावा होने से पहले धोखाधड़ी या सामग्री गलत तरीके से पेश किया गया है, और हमारे पास कोई संबंध नहीं होगा।

ग. किसी भी दावे को अस्वीकार करने के लिए, सभी लाभों को जब्त कर लें, और सभी प्रीमियम को पूरी तरह से अर्जित माना जाए, यदि दावा प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद धोखाधड़ी या भौतिक गलत निरूपण पाया जाता है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "धोखाधड़ी" में आपके या आपके प्रतिनिधियों द्वारा बीमाकर्ता को पॉलिसी जारी करने या दावे का भुगतान करने के लिए धोखा देने या प्रेरित करने के इरादे से निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

1. किसी भी तथ्य को सच के रूप में प्रस्तुत करना जिसे गलत माना जाता है;
 2. सक्रिय रूप से किसी भौतिक तथ्य को छिपाना या दबाना;
 3. गुमराह करने या धोखा देने के इरादे से कोई कार्य या चूक;
 4. लागू कानून द्वारा धोखाधड़ी घोषित कोई भी कार्य या चूक।
- इस खंड के तहत सभी उपचार कानून के तहत उपलब्ध उपायों के अतिरिक्त हैं।

viii. इस नीति के नियमों और शर्तों का पालन न करने से नीति अमान्य हो जाएगी।

ix. पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण: अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट या अतिरिक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जैसा भी मामला हो, और सभी आवश्यक जानकारी/दस्तावेजों की प्राप्ति पर जो प्रासंगिक हैं।

यदि स्वीकार की गई राशि दावा की गई राशि से कम है, तो हम बीमित व्यक्ति/दावेदार को निपटान के आधार के बारे में लिखित रूप में सूचित करेंगे। विशेष रूप से, जहां दावा खारिज कर दिया जाता है, हम निम्नलिखित के बारे में सूचित करेंगे:

यदि ऊपर बताए गए 30 दिनों के भीतर दावे का निपटारा नहीं किया जाता है, तो हम उस दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो अंतिम रिलीज की प्राप्ति की तारीख से बैंक दर से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक है।

- x. उत्पाद निकासी: इस बीमा उत्पाद को आई. आर. डी. ए. आई. की उचित मंजूरी के साथ भविष्य में वापस लिया जा सकता है, इस मामले में सभी बीमित पक्षों को कम से कम तीन महीने की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

धारा III: विशेष प्रावधान

कोई भी विशेष प्रावधान जिसके अधीन इस नीति में प्रवेश किया गया है और नीति में इसका समर्थन किया गया है, इस नीति का हिस्सा माना जाएगा और तदनुसार प्रभावी होगा।

खंड IV: रद्द करना

1. आप अवधि के दौरान किसी भी समय हमें लिखित रूप में सूचित करके पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। यदि आप पॉलिसी को रद्द करते हैं, तो आपको रद्द करने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। हम पॉलिसी धारक को न्यूनतम 7 दिनों का नोटिस देकर केवल स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं।
2. हम करेंगे -
 - i. यदि पॉलिसी की अवधि एक वर्ष तक की है और पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं किया गया है, तो बिना अवधि समाप्त होने वाली पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम का धनवापसी करें।
 - ii. एक वर्ष से अधिक की अवधि वाली पॉलिसी के संबंध में और जहां ऐसे पॉलिसी वर्षों के लिए जोखिम कवरेज अवधि शुरू नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई पॉलिसी अवधि के लिए प्रीमियम का धनवापसी करें।
 - iii. "यदि पॉलिसी पर किसी दावे की सूचना दी जाती है, तो किसी भी परिस्थिति में रद्द करने पर कोई प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा।

खंड V: घोषणा

- a. यदि आप बीमा प्राप्त करने से पहले प्रस्ताव प्रपत्र में कोई गलत/गलत घोषणा/जानकारी देते हैं, तो इस पॉलिसी के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के प्रति कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा।
- b. कंपनी आगे समझती है कि आपने नीति और विवरण पत्रिका को पढ़ लिया है और प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करने या आश्वासन देने से पहले सामग्री के निहितार्थ को समझ लिया है।

Kshema Kisan Sathi Insurance Policy**UIN: IRDAN162RPCR0019V01202526**

- c. आप आगे यह वचन देते हैं कि आपके द्वारा हस्ताक्षरित या पढ़ी गई घोषणा की जिम्मेदारी पॉलिसी में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों, यदि कोई हो, पर बाध्यकारी होगी और इस प्रकार कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होंगे।

धारा VI: नीतिगत विवाद

आपके और हमारे बीच यह सहमति हुई है कि यहाँ निहित नियमों, शर्तों, अपवादों, सीमाओं और/या बहिष्करणों या सामग्री की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद को समझा जाता है और

धारा VII: सहमत बैंक खंड

यदि आपने किसी बैंक के पक्ष में किसी बीमित संपत्ति (फसल) पर गिरवी रखा है, अनुमान लगाया है या कोई प्रतिभूति बनाई है, और बैंक की पॉलिसी में रुचि है, तो ऐसे बैंक का नाम भी दिखाया जाएगा।

यदि आप पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसे बैंक का नाम जोड़ना चाहते हैं तो इसे अनुमोदन के रूप में दिखाया जाएगा।

इस खंड में 'बैंक' शब्द में कोई भी वित्तीय संस्थान शामिल है।

इस खंड के तहत, आप निम्नानुसार सहमत हैं:

- i. हम बैंक को पूरी राशि का भुगतान करेंगे जो हम इस नीति के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा बैंक इसे अपनी मांग के लिए और राशि में रुचि रखने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के एजेंट के रूप में प्राप्त करेगा।
- ii. जब हम बैंक को राशि का भुगतान करेंगे, तो इस नीति के तहत हमारी देनदारी समाप्त हो जाएगी, और आप सभी और बीमाकर्ता के रूप में नामित सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी।
- iii. इस नीति के प्रावधानों के तहत हम बैंक को जो भी सूचना या संचार करते हैं, वह आपको पर्याप्त सूचना या संचार होगा।
- iv. हम बैंक के साथ जो भी समझौता या समझौता करते हैं, वह आपके और बीमित व्यक्ति के रूप में नामित सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा। हालाँकि, इस तरह का समझौता या समझौता बैंक के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।
- v. जब हम बैंक को राशि का भुगतान करेंगे, तो हम इस तरह के भुगतान की सीमा तक बैंक के सभी अधिकारों के लिए कानूनी और स्वचालित रूप से अधीन हो जाएंगे। यह प्रतिबंध के अधिकारों को बाधित या पूर्वग्रहित नहीं करेगा।

एन. बी.: बैंक का अर्थ होगा पॉलिसी में नामित पहला नामित वित्तीय संस्थान/बैंक।

धारा VIII: गंभीरता और संपूर्ण अनुबंध**1. गंभीरता:**

यदि इस नीति के किसी भी खंड, प्रावधान या हिस्से को उचित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा अमान्य या अमान्य माना जाता है, तो इस नीति का शेष हिस्सा बना रहेगा और पूर्ण बल और प्रभाव से जारी रहेगा।

2. पूरा अनुबंध:

इस पॉलिसी में बीमा का पूर्ण अनुबंध शामिल है। इस पॉलिसी में कोई भी बदलाव या परिवर्तन तब तक वैध या प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कंपनी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित नहीं किया जाता है।

धारा IX: यदि आपको कभी शिकायत करने की आवश्यकता हो तो क्या होगा?

हम उम्मीद करते हैं कि आपको कभी भी शिकायत करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। फिर भी, कभी-कभी चीजें गलत हो जाती हैं। जब वे ऐसा करते हैं, तो हम तुरंत जानना चाहते हैं, ताकि हम उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकें।

धारा X: यदि आप नोटिस/स्पष्टीकरण/शिकायत देना चाहते हैं

1. ध्यान दें:

इस नीति के तहत दी गई कोई भी सूचना, निर्देश या निर्देश लिखित रूप में होगा और बीमित व्यक्ति के मामले में हाथ, डाक, ईमेल, यदि कोई हो, द्वारा बीमित व्यक्ति के भाग। में निर्दिष्ट पते और ई-मेल पर दिया जाएगा।

हम प्रमुख उधारकर्ता को जो भी सूचना या पत्र देते हैं, उसे आप सभी को दिया गया माना जाएगा। आप में से किसी एक उधारकर्ता का कोई भी अनुरोध, विवरण, प्रतिनिधित्व, दावा या कार्रवाई सभी को बाध्य करेगी।

कंपनी के मामले में: के. एस. एच. ई. एम. ए. जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, विनियमित. कार्यालय: 413, चौथी मंजिल, माई होम टाइकून, कुंदन बाग बेगमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत-500016. ई-मेल customer.support@kshema.co।

नोटिस और निर्देशों को पोस्ट करने के 7 दिन बाद या हैंड डिलीवरी या ई-मेल के मामले में रसीद के तुरंत बाद दिया गया माना जाएगा।

2. यदि किसी भी समय आपको किसी स्पष्टीकरण या सहायता की आवश्यकता है

आप सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान पॉलिसी पर निर्दिष्ट पते पर हमारे कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

3. शिकायत निवारण खंड

यदि आपको नीति, या किसी भी मामले पर हमारे निर्णय, या दावे से संबंधित किसी भी मामले के बारे में कोई प्रश्न या शिकायत है, तो आप अपनी शिकायत को निम्नानुसार संबोधित कर सकते हैं:

Kshema Kisan Sathi Insurance Policy

UIN: IRDAN162RPCR0019V01202526

1. किसी भी प्रश्न के समाधान के लिए, आप हमें क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, रेग. कार्यालय: #413, चौथी मंजिल, माई होम टाइकून, कुंदन बाग, बेगमपेट, हैदराबाद में लिख कर पॉलिसी जारी करने वाले कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
2. यदि आप दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारे ई-मेल grievance.cell@kshema.co या gro@kshema.co पर जा सकते हैं या हमें 1800 570 2998 (टोल-फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या हमें ग्रीवेंक पर लिख सकते हैं।
3. यदि आप हमारे द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास <https://www.cioins.co.in> पर शिकायत निवारण के लिए बीमा लोकपाल से संपर्क करने का विकल्प है।

एस . नं.	स्थान	लोकपाल का नाम	पदनाम	बीमा लोकपाल का कार्यालय,	अधिकारिता	फोन नं.	ईमेल करें।
1.	अहमदाबाद	श्री कोल्लू विकास राव	बीमा लोकपाल	जीवन प्रकाश बिल्डिंग, छठी मंजिल, तिलक मार्ग, रिलीफ रोड, अहमदाबाद-380,001।	गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव।	079 - 25501 201/02	oio.ahmedabad@cioins.co.in
2.	बेंगलुरु	सुश्री नीरजा कपूर	बीमा लोकपाल	जीवन सौधा भवन, पी. आई. डी. सं. 57-27-एन-19 ग्राउंड फ्लोर, 19/19, 24 वीं मेन रोड, जे. पी. नगर, प्रथम चरण, बेंगलुरु-560 078।	कर्नाटक	080 - 26652 048 / 26652 049	oio.bengaluru@cioins.co.in
3.	भोपाल	श्री अजय कुमार	बीमा लोकपाल	पहली मंजिल, "जीवन शिखा", 60-बी, होशंगाबाद रोड, गायत्री मंदिर के सामने, अरेरा हिल्स भोपाल-462 011।	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।	0755 - 27692 01 / 27692 02 / 27692 03	oio.bhopal@cioins.co.in
4.	भुवनेश्वर	श्री. बिंबधर प्रधान	बीमा लोकपाल	62, वन उद्यान, भुवनेश्वर-751,009।	ओडिशा	0674 - 25964 61 / 2596 455/2 59642	oio.bhubaneswar@c

						9/259 6003	ioins. co.in
5.	चंडीगढ़	सुश्री अलका झा	बीमा लोकपाल	जीवन डीप बिल्डिंग एससीओ 20-27, ग्राउंड फ्लोर सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़-160,017।	पंजाब, हरियाणा (गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़।	0172- 27064 68	oio.c handi garh @cioi ns.co .in
6.	चेन्नई	श्री. K.Vinaya k राव	बीमा लोकपाल	फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथी मंजिल, 453, अन्ना सलाई, तेयनमपेट, चेन्नई-600 018।	तमिलनाडु, पुडुचेरी टाउन और कराईकल (जो पुडुचेरी का हिस्सा हैं)।	044 - 24333 668 / 24333 678	oio.c henn ai@ci oins. co.in
7.	दिल्ली	सुश्री सुनीता शर्मा	बीमा लोकपाल	2/2 ए, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002।	दिल्ली और हरियाणा के निम्नलिखित जिले-गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़।	011 - 46013 992/2 32135 04/23 23248 1	oio.d elhi@ cioin s.co.i n
8.	गुवाहाटी	श्री. अजय कुमार शर्मा	Insurance Ombudsma n	जीवन निवेश, 5वीं मंजिल, एन. आर. पानबाजार ओवर ब्रिज, एस. एस. रोड, गुवाहाटी-781001 (ए. एस. एस. ए. एम.)।	असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल	0361 - 26322 04 / 26022 05 / 26313 07	oio.g uwah ati@c ioins. co.in

					प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा।		
9.	हैदराबाद	सुश्री जी शोभा रेड्डी	बीमा लोकपाल	6-2-46, पहली मंजिल, "मोइन कोर्ट", लेन के सामने. सलीम फंक्शन पैलेस, ए. सी. गार्ड्स, लकड़ी-का-पूल, हैदराबाद-500 004।	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का हिस्सा।	040 - 23312 122 / 23376 991 / 23376 599 / 23328 709 / 23325 325	oio.h ydera bad @cioi ns.co .in
10.	जयपुर	श्री सत्यजीत राजन	बीमा लोकपाल	जीवन निधि-॥ बी. एल. डी. जी., जी. आर. फ्लोर, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-303005।	राजस्थान	0141 – 27403 63	oio.ja ipur @cioi ns.co .in
11.	कोच्चि	श्री प्रदीप कुमार जैन	बीमा लोकपाल	10वीं मंजिल, जीवन प्रकाश, एल. आई. सी. भवन, महाराजा कॉलेज ग्राउंड के सामने, M.G.Road, कोच्चि-682 011।	केरल, लक्षद्वीप, माहे-केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक हिस्सा।	0484 – 23587 59	oio.er nakul am@ cioin s.co.i n
12.	कोलकाता	सुश्री किरण सहदेव	बीमा लोकपाल	हिन्दुस्तान बी. एल. डी. जी. एनेक्सी, चौथी मंजिल, 4, सी. आर. एवेन्यू, कोलकाता-700 072।	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।	033 - 22124 339 / 22124 341	oio.k olkat a@ci oins. co.in
	लखनऊ	श्री. अतुल सहाय	बीमा लोकपाल	छठी मंजिल, जीवन भवन, फेज-॥, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001।	उत्तर प्रदेश के जिले: ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट,		oio.lu ckno w@ci oins. co.in

13.					इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाज़ीपुर, जालौन, कानपुर, लखनऊ, उन्नाओ, सीतापुर।	0522 - 40020 82 / 35006 13	
14.	मुंबई	सुश्री सरोजिनी एस. दिखले	बीमा लोकपाल	तीसरी मंजिल, जीवन सेवा एनेक्सी, एस. वी. रोड, सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई-400 054।	मुंबई में वार्डों को छोड़कर महानगर क्षेत्र- यानी एम/ई, एम/डब्ल्यू, एन, एस और टी के अंतर्गत आते हैं बीमा लोकपाल का कार्यालय ठाणे और नवी मुंबई के क्षेत्र।	022 - 69038 800/2 7/29/3 1/32/3 3	oio.m umba i@cio ins.c o.in
15.	नोएडा	श्री बिंबधर प्रधान	बीमा लोकपाल	भगवान सहाय पैलेस, चौथी मंजिल, मेन रोड, नया बांस, सेक्टर 15, जिला: गौतम बुद्ध नगर, U.P-201301।	उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले: आगरा, अलीगढ़, बागपत, बरेली, बिजनौर,	0120- 25142 52 / 25142 53	oio.n oida @cioi ns.co .in

					बदायूं, बुलंदशहर, एटा, कन्नौज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, या		
16.	पटना	सुश्री सुष्मिता मुखर्जी	बीमा लोकपाल	दूसरी मंजिल, ललित भवन, बेली रोड, पटना 800001।	बिहार, झारखंड।	0612- 25470 68	oio.p atna @cioi ns.co .in
17.	पुणे	श्री सुनील जैन	बीमा लोकपाल	जीवन दर्शन बी. एल. डी. जी., तीसरी मंजिल, सी. टी. एस. नं. 195 से 198, एन. सी. केलकर रोड, नारायण पेठ, पुणे-411 030।	नवी मुंबई, ठाणे जिला, पालघर जिला, रायगढ़ जिला और मुंबई महानगर क्षेत्र के क्षेत्रों को छोड़कर गोवा राज्य और महाराष्ट्र राज्य	020- 24471 175	oio.p une @cioi ns.co .in
18.	ठाणे	श्री उमेश सिन्हा	बीमा लोकपाल	दूसरी मंजिल, जीवन चिंतामणि भवन, वसंतराव नाइक महामार्ग, ठाणे (पश्चिम)-400604	नवी मुंबई, ठाणे जिला, रायगढ़ जिला, पालघर जिला और मुंबई के वार्ड, एम/पूर्व, एम/पश्चिम, एन, एस और टी का क्षेत्र।	022- 20812 868/6 9	oio.th ane@ cioin s.co.i n

* नोट: चूंकि उपरोक्त लोकपाल संपर्क विवरण समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए हम आपको एक अद्यतन सूची के लिए <https://www.cioins.co.in> का संदर्भ लेने का सुझाव देते हैं।

KSHEMA GENERAL INSURANCE LIMITED

Kshema Kisan Sathi Insurance Policy

UIN: IRDAN162RPCR0019V01202526

हमसे संपर्क करें

क्षेमा जनरल इश्योरेंस लिमिटेड

पता-जैसा कि पॉलिसी अनुसूची में उल्लेख किया गया है

वेब-www.Kshema.co

ई-मेल: जैसा कि पॉलिसी अनुसूची में उल्लेख किया गया है

ग्राहक सेवा: customer.support@kshema.co |

kshema

kshema